

कार्यालय नगर परिषद बामौर जिला मुरैना (म.प्र.)

क्रमांक / 2020 / 429

बामौर, दिनांक 13.03.2020

ऑनलाइन निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा पंजीकृत फर्म/ट्रैक्टर ट्रॉली मालिकों से शहर के सभी वार्डों में कचरा उठाने एवं उसे ट्रिचिंग ग्राउण्ड तक पहुंचाने के लिये ट्रैक्टर ट्रॉली मय डीजल ड्राइवर सहित भाड़े की वार्षिक निविदा दरें ऑनलाइन ई-निविदा वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर दिनांक 30.03.2020 सायं 05:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

क्र.	कार्य का विवरण	ऑनलाइन टेंडर आई.डी	घरोहर राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य की अवधि
01	कचरा परिवहन हेतु 02 ट्रैक्टर ट्रॉली मय डीजल ड्राइवर भाड़े पर लेने बावत्।	2020_UAD_84766_1	5.000/-	2,000/-	अनुबंध दिनांक से 2021 तक

शर्तें :-

- निविदा प्रपत्र एवं दर ऑफर ऑनलाइन निविदा प्रकाशन से दिनांक 30.03.2020 को सायं 05:30 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है।
- निविदा हेतु लिफाफे जिसमें प्रथम लिफाफा (Envelope-A), निर्धारित अमानत राशि की ऑनलाइन ट्रान्जेक्शन रिसीप्ट/NEFT/RTGS/SYSTEM GENERATE CHALLAN प्रति एवं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं 100 रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में एफ़ीडेवित एवं अन्य निविदा प्रपत्र में दिये गये अन्य दस्तावेज नगर परिषद बामौर कार्यालय में अथवा कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास चम्बल संभाग ग्वालियर के कार्यालय में स्वयं अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अंतिम तिथि 31.03.2020 को सायं 05:30 तक जमा कराये।
- (Envelope-A) मेंट्रेटरी दस्तावेज एवं अन्य नियत दस्तावेज ऑनलाइन ऑपन दिनांक 01.04.2020 प्रातः 11:00 बजे से।
- कार्य के देयको से शासन नियमानुसार निर्धारित कटौती किये जावेंगे।
- अनुबंध के समय नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी।
- दर प्रतिमाह/प्रति दिन/प्रति ट्रैक्टर के मान से समस्त करों सहित प्रस्तुत करें पृथक से किसी भी कर का भुगतान नहीं किया जावेगा।
- उपरोक्त वार्षिक कण्डिकाएँ अनुबंध का हिस्सा होंगी।
- उपरोक्त निविदा का प्रकाशन नगरीय प्रशासन की वेबसाइट www.mpurban.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं।
- निविदा में किया गया कोई भी संशोधन उक्त वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर किया जावेगा। पृथक से कोई भी प्रकाशन नहीं किया जावेगा। अतः सम्बंधित जानकारी निविदा वेबसाइट पर देखी जावे, निविदा से सम्बंधित अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में सम्बंधित शाखा में देखी जा सकती है।
- ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन, बीमा व ड्राइवर लाइसेंस देना होगा, टूट-फूट व मरम्मत खर्चा ट्रैक्टर मालिका का रहेगा तथा दुर्घटना होने पर मालिक उत्तरदायी रहेगा।

(श्री आर.एस बाकना)
प्रशासक
नगर परिषद बामौर जिला मुरैना

(श्री अशोक बंसल)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बामौर जिला मुरैना

बामौर, दिनांक.....

पु.क्र.....

- दैनिक समाचार पत्र की ओर न्यूनतम दर स्पेस में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।
- सिटी नैनेजर एक्सप्रेसन नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर www.mpurban.gov.in प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बामौर जिला मुरैना